जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

उदयपुर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 21 प्रभात उदयपुर, शनिवार 23 नवम्बर, 2024 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

डॉक्टर पहले अपना इलाज़ तो कर लें!

गौतम अडानी आदि के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत करना व इन लोगों की गिरफ्तारी की मांग करना, अमेरिका की दादागिरी का सबूत है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 नवम्बर। यू.एस. डिपार्टमैंट ऑफ जस्टिस (डी.ओ.जे.) द्वारा भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर लगाए गए भ्रष्टाचार व रिश्वत के अभियोग का महत्व जनता को पूरी तरह समझ नहीं आया है।

पूरे विश्व में आर्थिक व सामरिक मामलों में अपनी ही चलाने की अमेरिका की प्रवृत्ति को यहाँ समझना जरुरी है। यह, अमेरिका के महत्व का उसके प्रभाव से अधिक फैलाव है।

अमेरिका के कानून तंत्र ने एक अभियोग और गिरफ्तारी का वॉरंट जारी किया है, जो एक भारतीय नागरिक द्वारा भारत में कुछ परियोजनाओं के लिए किए गए कथित अपराध को लेकर है। याद रहे, यह एक ऐसे देश से आया है, जहाँ एक शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी, जिसे अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति ने चुना था, को सैक्स के लिए पैसे देने और नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने के आरोपों का सामना करना पड़ा था, जहाँ जीतने वाली रिपब्लिकन पार्टी ने, राष्ट्रपति द्वारा चुने गए लोगों के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने से इन्कार कर दिया था।

- पर, अमेरिका का यह कृत्य आधारहीन नहीं, अमेरिका के कानून की दृष्टि से। अमेरिका के शेयर बाजार से शेयर जारी कर पैसा इकट्ठा करने की एक शर्त है, कि शेयर जारी करने वाला अपनी कम्पनी के बारे में पूरी जानकारी जनता के समक्ष रखेगा, शेयर जारी करने से पहले।
- अडानी ने इस शर्त का उल्लंघन किया है, क्योंकि, उसने अपनी कम्पनी के बारे में इस तथ्य को छुपाया, यानि उजागर नहीं किया कि अमेरिका के कानून मंत्रालय ने एक ''इनक्वायरी'' खोल रखी है।
- अमेरिका के विधि मंत्रालय के अनुसार, जब तक कोई भी विदेशी कम्पनी अमेरिका के शेयर मार्केट में अपना शेयर नहीं बेचती, तब तक, उसने किस को कितनी रिश्वत दी, उससे अमेरिका के कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी सम्भालने वाले विभाग को कोई रूचि नहीं, पर जब उसने अमेरिका के स्टॉफ एक्सचेंज में अपना शेयर बेचकर, पैसा इकट्ठा करने का प्रयास किया, तब अमेरिका के ''कानून व्यवस्था'' के नियम कायदे उस पर लागू हो जाते हैं।
- अडानी ग्रुप की यह गलती उन्हें भारी पड़ेगी।
- यह भी सच है, कि, अगर भारत ऐसा ही कानून अपने संसद में पारित कर लेता है, तो क्या, वह उस कानून की, अमेरिका में अवेहलना करने वाले अमेरिकी नागरिक के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर गिरफ्तारी की मांग कर सकता है?

एक ऐसे देश से नैतिकता के उपदेश सुनना मुश्किल है। वैसे भी, भारत में जो भी हो रहा है वो अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, रिश्वत या कुछ और, चाहे वह भारतीयों और भारत देश के लिए कितना भी हानिकारक क्यों ना हो।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन कैसे जीता प्रदूषण के खिलाफ युद्ध

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 नवम्बर। भारत में जहरीली हवा ने दिल्ली वालों का दम घोंट रखा है और यह चर्चा तक नहीं हो रही है कि दिल्ली को बचाने के लिए क्या किया जाए। वहीं बीजिंग को विश्व के टॉप टैन सर्वाधिक प्रदूषित शहरों के दायरे से निकालने के लिए चीन ने वर्ष 2013 में जंग छेड़ी थी और 100 अरब डॉलर का प्रोजैक्ट शुरू किया था, और अब बीजिंग विश्व के प्रदूषित शहरों में नहीं है जबकि दिल्ली इसमें टॉप पर है।

- एशिया के दो प्रमुख देश, चीन और भारत प्रदूषण से पीड़ित, पर चीन ने अपने लोगों को प्रदूषण से बचा लिया वहीं भारत बेबसी से सब देख रहा है, कहां कमी रह गई।

ज़हरीली धुंध से भरा आकाश जिसमें कई दिनों तक सूरज के दर्शन नहीं होते हैं। स्कूल बंद हैं लोग खांस रहे हैं गले में जलन है। यह है 2024 की दिल्ली और कुछ ऐसा ही था 2013 का बीजिंग।

पूरे एक दशक से एशिया के इन दोनों बड़े देशों में भारी प्रदूषण झेला पर जहां चीन अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश में जुट गया, वहीं भारत अपने लोगों को धीरे-धीरे मौत के करीब जाते हुए देख रहा है।

'बुरे दिन बीते रे भैय्या, सावन आयो रे'

गहलोत ने अपने निवास पर कांग्रेस सेवा दल, महिला सेवादल व युवा सेवा दल के जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई, जिसमें टीकाराम जूली, संगठन सचिव ललित लूनवाल व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 नवम्बर। 20 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपने निवास पर कांग्रेस सेवा दल, महिला सेवा दल और युवा सेवा दल के जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाने पर सवाल उठ रहे हैं। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी संगठन महासचिव ललित तूनवाल का भी सेवा दल के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंच पर उपस्थित रहना यह इंगित करता है कि प्रदेश कांग्रेस आज भी अशोक गहलोत के नियंत्रण में है। गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत की कठपुतली बनकर 25 सितंबर 2022 को तनोट चले गए थे, शायद वे आपसी समझ में इस बैठक से दूर रहे लेकिन गहलोत और डोटासरा इस तरह की बैठकों के जरिए आलाकमान को संदेश देना चाह रहे हैं कि वे अभी भी 25 सितंबर 2022 की तारीख पर खड़े हैं। कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर भविष्य में इस तरह से युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई के पदाधिकारियों की भी बैठकें अशोक गहलोत के घर आयोजित हों या विधायकों की भी बैठकें उनके घर आयोजित हों।

- दूसरी ओर मुम्बई और कोंकण में सीनियर आब्ज़र्वर की भूमिका में गहलोत ने मुंबा देवी में एक सभा रखी थी, जिसमें मात्र दो सौ लोग थे, जबकि मंच पर गहलोत के साथ राजस्थान के नेता डोटासरा, जूली, जितेन्द्र सिंह, रघु शर्मा आदि मौजूद थे।
- जयपुर एयरपोर्ट पर जिस तरह से गहलोत अपने साथ धर्मेंद्र राठौड़ को ले गये, और राहुल गाँधी से हाथ मिलवाया, इससे साबित हो गया कि कांग्रेस राजस्थान के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है।

अशोक गहलोत को अब आलाकमान से डर इसलिए भी नहीं लगता कि वे अपने जीवन की आखिरी पारी के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकते हैं और डोटासरा उनके मुट्ठी में शायद इसलिए हो सकते हैं कि शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की बहुत सी कमजोरियों के प्रमाण अशोक गहलोत ने जुटा रखे हों।

मुंबई और कोंकण के सीनियर आब्जर्वर की भूमिका में अशोक गहलोत ने मुंबा देवी में एक सभा रखी थी जिसमें मात्र दो सौ लोग थे जबकि मंच राजस्थान के जनाधार विहीन नेताओं गहलोत, डोटासरा, जूली, जितेंद्र सिंह, रघु शर्मा से भरा हुआ था।

एक कांग्रेसी नेता ने सवाल उठाया है कि महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चव्हाण, मध्यप्रदेश में कमलनाथ, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अगर इस तरह की बैठकें आयोजित करके आलाकमान के सामने ये दिखाने का प्रयास करें कि कांग्रेस का संगठन उनके साथ है तो खड़गे का क्या रुख रहेगा या इन राज्यों के कांग्रेस प्रभारियों की क्या प्रतिक्रिया होगी। चूंकि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उदयपुर : रॉन्ग साइड जा रही कार की ट्रोले से टक्कर में 5 मरे

पांचों युवक जिस कार में थे, उसे 4-5 दिन पहले ही सैकण्ड हैण्ड खरीदा गया था

उदयपुर, 22 नवम्बर (कासं)। शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात को रोंग साइड जा रही एक कार को सामने से तेज गति में आ रहे एक ट्रोले ने टक्कर मार दी, जिससे कार सवार पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सभी का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए। मृतकों में एक हैड कांस्टेबल का बेटा भी शामिल है। पांचों मृतक जिस कार में सवार थे, उस सैकंड हैंड कार को चार-पांच दिन पहले ही खरीदा था। पुलिस ने ट्रोले को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि गुरुवार देर रात 10 बजे गौरव (24) पुत्र भंवरलाल जीनगर निवासी रामपुरा चौराहा हाल ढीकली वाडा, हिम्मत (34) पुत्र मोहनलाल खटीक निवासी इन्द्रा कॉलोनी देलवाडा, गोपाल (27) पुत्र गेहरीलाल नंगारची निवासी हनुमान कॉलोनी फतहपुरा, पंकज (31) पुत्र दिलीप नंगारची निवासी कुम्हारों का मोहल्ला छोटा बेदला, नारायणलाल (22) पुत्र मांगीलाल गमेती निवासी कानपुर खेडा एक कार में सवार होकर अम्बेरी से देबारी की तरफ रोंग साइड जा रहे थे। तभी अम्बेरी पुलिया पर सामने से तेजगति में आ रहे ट्रोले का चालक एकदम से कार के सामने आने से ट्रोले को काबू में नहीं कर पाया और उसने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार सवार पांचों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कार इस ट्रोले में बुरी तरह से फंस गई थी। सूचना मिलने पर, मौके पर थाने से जाब्ता पहुंचा और स्थानीय लोगों की सहायता से सभी को बाहर निकलवाकर एम.बी. चिकित्सालय पहुँचाया, जहां पर चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित किया। इधर, पुलिस ने रात्रि को मौके से ही ट्रोला जब्त किया और चालक को गिरफ्तार कर लिया। मृतकों में गौरव जीनगर के पिता भँवरलाल जीनगर उदयपुर पुलिस में हैड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। सूचना मिलने पर सुबह मृतकों के परिजन आए और पुलिस ने सभी के पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिये।

- कार अम्बेरी से देबारी रॉन्ग साइड पर जा रही थी। अम्बेरी पुलिया पर तेज गति से आ रहे ट्रोले से कार की सीधी टक्कर हुई। कार बुरी तरह ट्रोले में फंस गई।

सरकारी गवाह बन क्षमादान का कटारा का प्रार्थना पत्र खारिज

जयपुर, 22 नवंबर। एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आर.पी.एस.सी. के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा ने सरकारी गवाह बनकर क्षमादान चाहने की मंशा जताते हुए निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया है, हालांकि अदालत ने कटारा के इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

- आर.जी.एस.सी. के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा द्वारा पेपर लीक मामले में सरकारी गवाह बन कर क्षमादान प्राप्त करने के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र अति. सत्र न्यायालय ने खारिज किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी बी.एल. चंदेल ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि मामले में पूर्व में 67 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश हो चुका है। अदालत ने कहा कि कटारा को अन्य आरोपी रामूराम राइका व अन्य के साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शिंदे फिर मुख्यमंत्री बनेंगे!

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 नवम्बर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम शनिवार को घोषित हो रहे हैं शिवसेना के एकनाथ शिंदे की नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। समर्थक उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि भाजपा के देवेन्द्र फड़नवीस की नज़र भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर

- शिंदे समर्थक यह दावा कर रहे हैं, पर देवेन्द्र फड़नवीस की नज़र भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है।

क्योंकि अगर महायुति गठबंधन जीता तो जीत का श्रेय भाजपा को जाता है। कांग्रेस नीत गठबंधन महाविकास अघाड़ी को भी अच्छे नतीजे की उम्मीद है क्योंकि ज्यादा वोटिंग हुई है। भाजपा का गठबंधन झारखंड में भी आगे बढ़ता दिख रहा है।

शरद पवार पर नारायण राणे की टिप्पणी आकस्मिक जरूर है, पर आधारहीन नहीं लगती

नारायण राणे ने कहा है कि चुनाव नतीजे आने के बाद शरद पवार भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में आ जाएंगे

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 नवम्बर। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) ने भाजपा सांसद नारायण राणे द्वारा एक स्थानीय मराठी टी.वी. समाचार चैनल को दिये गये इस बयान का आज यहाँ अधिकृत रुप से खण्डन किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद, एन.सी.पी. (एस.पी.) अध्यक्ष शरद पवार कांग्रेस के नेतृत्व वाले समर्थित ''महा विकास अघाड़ी'' को छोड़कर, भाजपा- नेतृत्व वाले ''महायुति'' से हाथ मिला सकते हैं।

एन.सी.पी. (एस.पी.) के अधिकृत प्रवक्ता, मुम्बई-निवासी क्लाइड क्रास्टो ने ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार किया और ''द स्टेट्समैन'' को शुक्रवार को बताया कि ''नारायण राणे ऐसे बेतुके बयान देने के लिये कुख्यात हैं तथा कोई भी उनके बयानों को गम्भीरता से नहीं लेता है। महा विकास अघाड़ी के विरोधी ऐसे राजनेता, जो अब प्रासंगिक नहीं रहे हैं, एक बात तो पक्के तौर पर जानते ही हैं। वे इस बात को जानते हैं कि अगर वे शरद पवार के बारे में कोई बयान देते हैं तो उन्हें मुफ्त में ही कुछ प्रसिद्धि निश्चित रुप से मिल जायेगी। इसलिये, नारायण राणे मुफ्त में प्रसिद्धि पाने तथा खबरों में बने रहने के लिये ही शरद पवार के नाम का उपयोग कर रहे हैं।

- चर्चा है कि इस खबर के पीछे अडानी फैक्टर है। यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव गुट) शुरू से ही अडानी के खिलाफ हैं और लगातार आलोचना करते रहे हैं फिलहाल अडानी को ''धारावी'' की जमीन दिए जाने पर इन दोनों दलों ने अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
- पर शरद पवार और अडानी के सम्बंध पुराने एवं गहरे रहे हैं और वे इस विरोध एवं आलोचना का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं।
- मतगणना से एक दिन पहले आए, नारायण राणे के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है, हालांकि शरद पवार ने महायुति में जाने का खंडन किया है पर इस खंडन पर लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं।

आज सुबह, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री तथा पूर्व केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री नारायण राणे, जो इस समय रत्नागिरि-सिन्धुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने एक स्थानीय टी.वी. समाचार चैनल को यह सनसनीखेज बयान दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा हो जाने के बाद, एन.सी.पी. (एस.पी.) प्रमुख शरद पवार कांग्रेस समर्थित महा विकास अघाड़ी को छोड़कर, भाजपा -समर्थित महायुति से हाथ मिला सकते हैं।

भाजपा नेता नारायण राणे ने एक स्थानीय मराठी टी.वी. समाचार चैनल को बताया, ''विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद, शरद पवार अपना रास्ता बदल सकते हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। शरद पवार राज्य के हित तथा अपनी पार्टी के विधायकों के लाभ के लिये महायुति से हाथ मिला सकते हैं। उद्धव की पार्टी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 10-12 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। इसलिये, किसी भी हालत में राज्य में महा विकास

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में स्कूल बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिभावक

अभिभावकों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सभी के पास वर्चुअल क्लास के लिए तकनीकी व्यवस्था नहीं है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार कहा कि वह अगले हफ्ते विचार करेगा कि प्रदूषण से संबंधित कुछ उपायों में छूट दी जा सकती है क्या खासकर स्कूलों के संबंध में। वर्तमान में प्रदूषण की वजह से दिल्ली-एन. सी. आर. ग्रेडेड रैस्पॉन्स एक्शन प्लान फोर्थ (जी. आर. ए. पी. फोर्थ) के दायरे में है इसलिए स्कूल भी बंद हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद होने के खिलाफ अभिभावकों द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए कहा कि सभी घरों में वर्चुऑल क्लास के लिए जरूरी तकनीकी सिस्टम नहीं होते हैं।

जस्टिस अभय एस. ओझा और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बैंच ने कहा कि जी. आर. ए. पी. के परिवार बहुत हानिकारक है।

बैंच ने यह टिप्पणी कुछ अभिभावकों के द्वारा स्कूल बंद होने और ऑनलाइन कक्षा चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए की। वर्तमान में दिल्ली एन. सी. आर. के स्कूल बंद हैं, कारण है भारी प्रदूषण तथा बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही है।

बैंच दिल्ली में प्रदूषण के सम्बंध में केस की सुनवाई कर रही थी। खासकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और पंजाब में पराली जलाने के खिलाफ उठाए गए कदमों पर।

शुक्रवार को वरिष्ठ वकील एम. गुरुस्वामी ने अभिभावकों के एक समूह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की उन्होंने कहा कि स्कूल बंद होने के पीछे यह धारणा है कि घरों के अंदर हवा साफ होती है।

गुरुस्वामी ने कहा, हमारे पास वर्चुअल क्लास के लिए तकनीकी सिस्टम नहीं है, हमें कोर्ट से मदद चाहिए।

- अभिभावकों ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि स्कूल बंद करने के पीछे की यह सोच तर्क संगत नहीं है कि घरों में हवा शुद्ध है।
- अभिभावकों ने कहा कि सुबह सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, तो स्कूलों का समय 9 बजे से रखा जा सकता है। और प्रदूषण की स्थिति अति गंभीर हो तब दो सप्ताह के लिए स्कूल बंद किए जा सकते हैं।
- अभिभावकों ने कहा कि अदालत सरकार को निर्देश दे कि स्कूलों में एन-95 मास्क बंटवाए जाएं। यही नहीं, प्रदूषण की स्थिति में जिन बच्चों को अस्थमा (सांस की तकलीफ) है उनके लिए ऑनलाइन क्लास चलाई जा सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी सुझावों पर 2 दिसम्बर को विचार किया जाएगा।

जब कोर्ट ने कामकाजी माता पिता की समस्याएं पूरे करने के लिए सुझाव मांगा तो गुरुस्वामी ने कहा, इस देश के गरीब लोग अपने बच्चों को पास के स्कूल भेज देंगे।

लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना दवे ने कहा कि राज्य को इस चिंताओं के प्रति सहानुभूति है पर जी. आर. ए. पी.चतुर्थ लागू होने से बच्चे भी प्रभावित होंगे ही।

इस पर वरिष्ठ वकील इसमें बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने वाली बसों का भी मसला है। इस पर गुरु स्वामी ने कहा, मुझे खेद सहित कहना पड़ रहा है कि इस देश के गरीब माता-पिता अपने बच्चों को बस से स्कूल नहीं भेजते हैं इन्हें पास ही के स्कूल में पढ़ाते हैं।

कोर्ट ने कहा इस मसले 2 दिसंबर को विचार किया जाएगा। यह याचिका आठ अभिभावकों के समूह ने दायर की है उनका तर्क है कि दिल्ली जी. सी. आर. के प्रदूषण का इलाज स्कूल बंद करना नहीं है। स्कूल बंद होने से बच्चों का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी छिनता है।

याचिका कहती है कि बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूल का कोई अर्थ नहीं है, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है या बहुत छोटे हैं बच्चे जो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास का कोई अर्थ नहीं है।

ऑनलाइन क्लास स्कूल की भरपाई नहीं कर सकती है।

याचिका में अभिभावकों ने निम्न आग्रह किए हैं।

- सरकार को स्कूलों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन्स जारी करनी चाहिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एस.आई. भर्ती-2021 : हाईकोर्ट ने यथा स्थिति 10 दिसम्बर तक बढ़ाई

जयपुर, 22 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एस.आई. भर्ती-2021 पर गत 18 नवंबर को दिए यथास्थिति के आदेश को दस दिसंबर तक बढा दिया है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार

- अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा, हाईकोर्ट ने युवाओं के भविष्य से जुड़े मामले के कारण दो सप्ताह का समय दिया।

को जवाब पेश करने के लिए समय दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में कुछ ट्रेनी एस.आई. को भी पक्षकार बना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)